



Neutral Citation No. - 2026:AHC:129281

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

दाण्डिक प्रकीर्ण जमानत प्रार्थना-पत्र संख्या - 14230 वर्ष 2026

राकेश प्रजापति

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : गौरव तिवारी, इंस्पेक्टर सिंह

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता : अखिलेन्द्र प्रताप सिंह, दिलीप कुमार चौधरी, शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 71

माननीय न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता तथा उत्तर प्रदेश राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया। संशोधित पुकार में भी सूचनादाता की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ है।
2. प्रस्तुत जमानत प्रार्थना-पत्र आवेदक द्वारा मुकद्दमा अपराध संख्या 267 वर्ष 2025, अंतर्गत धारा 85, 80(2) भारतीय न्याय संहिता सहपठित धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम, पुलिस थाना- बरसठी, जिला- जौनपुर में जमानत पर रिहा किए जाने हेतु योजित किया गया है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आवेदक निर्दोष है और उसे वर्तमान मामले में मिथ्या रूप से आलिप्त किया गया है। आगे यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभिकथित घटना 15.02.2025 को घटित हुई थी जबकि प्रथम सूचना रिपोर्ट 10 माह से अधिक समय पश्चात 21.12.2025 को दर्ज कराई गई थी; 10 माह से अधिक के विलंब को अभियोजन पक्ष द्वारा उचित रूप से स्पष्ट नहीं किया गया है; प्रथम सूचना रिपोर्ट विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 175(3) के अंतर्गत पारित आदेश पर दर्ज कराई गई थी; आवेदक

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



मृतका का जेठ है तथा आवेदक के विरुद्ध केवल सामान्य एवं सर्वग्राही आरोप लगाए गए हैं। आगे यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि प्रारंभ में अंत्य-परीक्षण आख्या में चिकित्सक द्वारा यह मत व्यक्त किया गया था कि मृत्यु का कारण मृत्यु-पूर्व मस्तिष्क आघात (निलयी रक्तस्राव) के परिणामस्वरूप मस्तिष्क रक्तस्राव, प्रघात तथा मूर्च्छा था। तथापि, विधि विज्ञान प्रयोगशाला की आख्या के अनुसार मृतका के शरीर में एल्युमीनियम फॉस्फाइड विष पाया गया था। आगे यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभिकथित घटना के समय आवेदक मुंबई में था तथा उसके कार्यालय की उपस्थिति पंजिका को जमानत प्रार्थना-पत्र के अनुलग्नक-3 के रूप में संलग्न किया गया है जो उसके कार्यालय में आवेदक की उपस्थिति को दर्शाता है। आगे यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि मृतका के पति सहित परिवार के सभी सदस्यों को वर्तमान मामले में आलिप्त किया गया है तथा मृतका का पति अभी भी कारागार में निरुद्ध है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का आगे यह कथन है कि आवेदक 06.03.2026 से कारागार में निरुद्ध है और यदि, उसे जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा एवं विचारण में सहयोग करेगा।

4. इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने आवेदक को जमानत प्रदान किए जाने की प्रार्थना का विरोध किया है और प्रस्तुत किया है कि अपराध में उसकी संलिप्तता के संबंध में आवेदक के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य विद्यमान हैं, अतएव, वह जमानत पर रिहा होने का अधिकारी नहीं है।
5. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत की गई प्रतिद्वंद्वी दलीलों, आरोपों की प्रकृति, पत्रावली पर लाए गए साक्ष्य, आवेदक द्वारा व्यतीत की गई कारावास की अवधि, किसी भी आपराधिक पूर्ववृत्त के अभाव पर विचार करने के पश्चात, तथा मामले के गुण-दोष पर कोई भी राय व्यक्त किए बिना, इस न्यायालय का यह निष्कर्ष है कि आवेदक जमानत प्रदान किए जाने का पर्याप्त आधार प्रस्तुत करता है।
6. तदनुसार, जमानत प्रार्थना-पत्र स्वीकृत किया जाता है।
7. उपर्युक्त अपराध मामले में संलिप्त आवेदक- राकेश प्रजापति को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार एक वैयक्तिक बंधपत्र तथा समान राशि के दो प्रतिभू प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए। इसके अतिरिक्त, रिहाई आदेश जारी करने से पूर्व, प्रतिभूओं का सत्यापन किया जाए।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(i) आवेदक इस आशय का एक वचन-पत्र दाखिल करेगा कि जब गवाह न्यायालय में उपस्थित होंगे तो वह साक्ष्य हेतु नियत तिथि पर कोई स्थगन नहीं मांगेगा। इस शर्त के व्यतिक्रम की दशा में, विचारण न्यायालय के लिए यह विकल्प खुला रहेगा कि वह इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग माने तथा विधि के अनुसार आदेश पारित करे।

(ii) आवेदक विचारण न्यायालय के समक्ष नियत प्रत्येक तिथि पर, या तो व्यक्तिगत रूप से अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगा। पर्याप्त कारण के बिना, उसकी अनुपस्थिति की दशा में, विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 229-क / भारतीय न्याय संहिता की धारा 269 के अंतर्गत कार्यवाही कर सकता है।

(iii) यदि, आवेदक विचारण के दौरान जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है तथा उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 / भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 84 के अंतर्गत उद्घोषणा जारी की जा सकती है और यदि आवेदक ऐसी उद्घोषणा में नियत तिथि पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहता है, तो विचारण न्यायालय भारतीय दंड संहिता की धारा 174-क / भारतीय न्याय संहिता की धारा 209 के अंतर्गत विधि के अनुसार उसके विरुद्ध कार्यवाही संस्थित करेगा।

(iv) आवेदक (1) मामले के आरंभ होने, (2) आरोप विरचित किए जाने तथा (3) दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 / भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 351 के अंतर्गत कथन लेखबद्ध किए जाने हेतु नियत तिथियों पर विचारण न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा। यदि विचारण न्यायालय के मत में आवेदक की अनुपस्थिति जानबूझकर या पर्याप्त कारण के बिना है, तो विचारण न्यायालय के लिए ऐसे व्यतिक्रम को जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानना तथा उसके विरुद्ध विधि के अनुसार कार्यवाही करना खुला रहेगा।

8. उपरोक्त में से किसी भी शर्त के उल्लंघन की दशा में, यह जमानत निरस्तीकरण का आधार होगा।

9. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को जमानत प्रदान करने में की गई टिप्पणियां किसी भी प्रकार से विद्वान विचारण न्यायाधीश को गवाहों के साक्ष्य के आधार पर अपनी स्वतंत्र राय बनाने में प्रभावित नहीं करेंगी।

(विवेक कुमार सिंह, न्यायमूर्ति)

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



25 जून, 2026

नितेन्द्र

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।